रुक्मणी बनाम वैभव वगैरा मु०नं० — 4/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म
29-6-2021	पत्रावली पेश हुई। कोविड - 19 के कारण कोई उप० नहीं। गतादेशानुसार पत्रावली दि० 7-7-2021 को पेश हो।	
7-7-2021	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। विभाजन स्कीम पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। विभाजन स्कीम के अनुसार वकील उभयपक्ष वाद निर्णीत किए जाने पर सहमत हैं। अत: दावा वादीगण डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:58 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] [illegible] तारीख निर्णय

[illegible] 20.1.2020 7.7.2021

1. [illegible] पुत्री सूरजमल, सुनार निवासी घास मंडी, गंगापुर सिटी
2. [illegible] पुत्री सूरजमल, सुनार निवासी घास मंडी, गंगापुर सिटी
3. [illegible] पुत्री सूरजमल, सुनार निवासी घास मंडी, गंगापुर सिटी
4. [illegible] पुत्री सूरजमल, सुनार निवासी घास मंडी, गंगापुर सिटी
5. [illegible] पुत्र सूरजमल,सुनार नि0 घास मंडी, गंगापुर सिटी ––वादीगण

बनाम

1. वैभव पुत्र धर्मेन्द्र, सुनार निवासी 5/40 देवमंगल ज्वैलर्स,एम0जी0रोड मण्डलेश्वर जिला खरगोन मध्यप्रदेश
2. विदूषी पुत्री धर्मेन्द्र, सुनार निवासी 5/40 देवमंगल ज्वैलर्स,एम0जी0रोड मण्डलेश्वर जिला खरगोन मध्यप्रदेश
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री रवि कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि ख0न0 1162/1023 रकबा 9 एयर, ख0न0 1164/805 रकबा 60 एयर, ख0न0 1166/960 रकबा 6 एयर, ख0न0 1168/961 रकबा 35 एयर कुल रकबा 1.10 है0 स्थित ग्राम हिगोंटिया मे है। वादग्रस्त भूमि मे वादीगण का 5/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा है। प्रतिवादीगण आये दिन भूमि को बेचने की धमकी देते रहते है। दिनांक 10.1.20 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से भूमि का विभाजन करवाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने मना कर दिया एवं कहा कि वे तो भूमि का विभाजन करवाए बिना ही भूमि को बेचेगे, विभाजन करवाना है तो वादीगण करवालें। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जाकर भूमि ख0न0 1162/1023 रकबा 9 एयर, ख0न0 1164/805 रकबा 60 एयर, ख0न0 1166/960 रकबा 6 एयर, ख0न0 1168/961 रकबा 35 एयर कुल रकबा 1.10 है0 स्थित ग्राम हिगोंटिया का [illegible] दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण का 5/6 हिस्सा [illegible] किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि को रहन वय नहीं करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से श्री रवि कुमार शर्मा, एडवोकेट ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन करने का निवेदन किया है।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम हिगोंटिया एवं नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी जाकर वादीगण का वाद दि. 27.10.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से दिनांक 22.6.2021 को विभाजन स्कीम प्राप्त हुई जो पत्रावली में संलग्न है।

विभाजन स्कीम पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करने पर अपनी सहमति दी है। फलस्वरूप तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 22.6.2021 को तैयार की गई विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 1162/1023 रकबा 9 एयर, ख0न0 1164/805 रकबा 60 एयर, ख0न0 1166/960 रकबा 6 एयर, ख0न0 1168/961 रकबा 35 एयर कुल रकबा 1.10 है0 स्थित ग्राम हिगोंटिया का वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:—

1. वादीगण रूकमणि पुत्री सूरजमल हिस्सा 1/5, ममता पुत्री सूरजमल हिस्सा 1/5, समता पुत्री सूरजमल हिस्सा 1/5, सुशीला पुत्री सूरजमल हिस्सा 1/5, धनीराम पुत्र सूरजमल हिस्सा 1/5 जाति सुनार निवासी घासमंडी गंगापुर सिटी की खातेदारी भूमि ख0न0 1162/1023 रकबा 0.09 है0, ख0न0 1164/805/2 रकबा 0.[illegible] है0, ख0न0 1166/960 रकबा 0.06 है0, ख0न0 1168/961 रकबा 0.[illegible] है0, कुल रकबा 0.92 है0 स्थित ग्राम हिगोटिया रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं [illegible]
सत्यमेव जयते

प्रतिवादी वैभव पुत्र धर्मेन्द्र हिस्सा 1/2, विदूषी पुत्री धर्मेन्द्र हिस्सा 2 जाति सुनार निवासी 5/40 देवमंगल ज्वैलर्स, एम.जी. रोड मंडलेश्वर जिला खरगौन, मध्यप्रदेश की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1164/805/1 रकबा [illegible] है0 ग्राम हिगोटिया रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारीं किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7.7.2021 को सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:58 IST
Reason: SelfAttested

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

[illegible] उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

[illegible] अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

[illegible] पुत्री सूरजमल, सुनार निवासी घास मंडी, गंगापुर सिटी
2. [illegible] पुत्री सूरजमल, सुनार निवासी घास मंडी, गंगापुर सिटी
3. [illegible] पुत्री सूरजमल, सुनार निवासी घास मंडी, गंगापुर सिटी
4. सुशीला पुत्री सूरजमल, सुनार निवासी घास मंडी, गंगापुर सिटी
5. धनीराम पुत्र सूरजमल,सुनार नि0 घास मंडी, गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. वैभव पुत्र धर्मेन्द्र, सुनार निवासी 5/40 देवमंगल ज्वैलर्स,एम0जी0रोड मण्डलेश्वर जिला खरगोन मध्यप्रदेश
2. विदूषी पुत्री धर्मेन्द्र, सुनार निवासी 5/40 देवमंगल ज्वैलर्स,एम0जी0रोड मण्डलेश्वर जिला खरगोन मध्यप्रदेश
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 4/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री रवि शंकर शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 1162/1023 रकबा 9 एयर, ख0न0 1164/805 रकबा 60 एयर, ख0न0 1166/960 रकबा 6 एयर, ख0न0 1168/961 रकबा 35 एयर कुल रकबा 1.10 है0 स्थित ग्राम हिगोंटिया का वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 2 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

1. वादीगण रूकमणि पुत्री सूरजमल हिस्सा 1/5, ममता पुत्री सूरजमल हिस्सा 1/5, समता पुत्री सूरजमल हिस्सा 1/5, सुशीला पुत्री सूरजमल हिस्सा 1/5, धनीराम पुत्र सूरजमल हिस्सा 1/5 जाति सुनार निवासी घासमंडी गंगापुर सिटी की खातेदारी भूमि ख0न0 1162/1023 रकबा 0.09 है0, ख0न0 1164/805/2 रकबा 0[illegible] है0, ख0न0 1166/960 रकबा 0.06 है0, ख0न0 1168/961 रकबा 0.35 है0, कुल रकबा 0.92 है0 स्थित ग्राम हिगोटिया रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:01:58 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

(मुहर: उप जिला कलेक्टर एवं ... गंगापुर सिटी — सत्यमेव जयते)

[illegible], दाता

(2)

[illegible] हिस्सा 1/2, विदूषी पुत्री धर्मेन्द्र हिस्सा [illegible] 5/40 देवनंगल ज्वैलर्स, एम.जी. रोड मंडलेश्वर [illegible] की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1164/805/1 रकबा [illegible] रहेगी।

[illegible] के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका [illegible] निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस [illegible] इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा [illegible]

[illegible] डिक्री आज दिनांक 07.07.2021 को जारी किया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:58 IST
Reason: SelfAttested